प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

अवमाननावाद संख्या-1091/2012 राम विलास हरिजन एवं अन्य

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

उपस्थिति

(i). वादी की ओर से श्री राधवेन्द्र शरण पाण्डेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा श्री संदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना ।

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से श्री शशि शेखर अधिवक्ता, भागलपुर विश्वविद्यालय श्री बलराम साहनी के बदले में उपस्थित हुए ।

(iii) उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर प्रो० (डा०) एस०एम० करीम, निदेशक, उच्च शिक्षा ।

आदेश

दिनांक 16.05.2015

विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित कनीय अधिवक्ता ने लिखित आवेदन के माध्यम से सूचित किया कि श्री बलराम साहनी विश्वविद्यालय अधिवक्ता व्यक्तिगत कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं, फलस्वरूप दिनांक 09.05.2014 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो रहा है । इस क्रम में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया। सभी पक्षों की सहमति से सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 05.06.2015 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित करते हुए, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया कि वे वादी से प्राप्त अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन सुनवाई की निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । इस क्रम में इस आदेश की प्रति सभी वादियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद अगली सुनवाई की तिथि को विशेष वाहक के माध्यम से करने का निदेश दिया गया ।

16/5/15

(आर०के० महाजन)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-14/मु०13-358/12......820 पटना, दिनांक 22/5/2015

प्रतिलिपिः- कुलसचिव, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/डा० एस०एम० करीम, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/ डा० ए०के० शर्मा, सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग तथा संबंधित सभी वादीगणों को कुलसचिव, टी०एम०बी०यू० के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

21/5/15

(प्रधान सचिव)

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना